

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

प्रथम तल, खण्ड-सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर

फोन नम्बर- 0771-2331385, फैक्स नम्बर-0771-2445215, Email Id-cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक/सी.भ.2023/स.शि./2025/46

नवा रायपुर, दिनांक 05/02/2025

प्रेस विज्ञप्ति

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. के पारित निर्णय के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया की सूचना दिनांक 24.01.2025 को जारी की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा याचिका क्रमांक 925/2025 में सुनवाई करते हुये दिनांक 03.02.2025 को निर्देशित किया है कि प्रकरण के डी.एड. अर्हताधारी याचिकाकर्ता जो व्यापम फार्म में अपनी व्यावसायिक अर्हता डी.एड. अंकित नहीं कर पाये थे। उन्हें भी सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया में चयन का अवसर प्रदान किया जाये।

माननीय न्यायालय के निर्देश दिनांक 03.02.2025 के परिपालन में संचालनालय द्वारा पूर्व में जारी सूचना दिनांक 24.01.2025 को निरस्त किया जाता है। संचालनालय द्वारा सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में संशोधित सूचना पृथक से जारी की जायेगी।

उपसंचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

प्रथम तल, खण्ड-सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर

फोन नम्बर- 0771-2331385, फैक्स नम्बर-0771-2445215, Email Id-cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक / सी.भ.2023 / सहा.शि. / 2025 / 45

नवा रायपुर, दिनांक 05/02/2025

शिक्षक सीधी भर्ती-2023

// सूचना //

माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित निर्णय के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की समय-सारिणी संचालनालय, लोक शिक्षण के सूचना पत्र दिनांक 24.01.2025 द्वारा जारी किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. ने याचिका क्रमांक 925/2025 पर सुनवाई करते हुये दिनांक 03.02.2025 को निम्नानुसार निर्देशित किया है :-

Accordingly, purely as an interim measure each of the petitioners are directed to file separate applications for considering their D.Ed degree in order to participate in the counseling proceedings. The application shall be annexed with copy of D.Ed degree duly certified by each of the petitioner before the State and VYAPAM, and, in turn State and VYAPAM shall consider the same and to allow the petitioners on the basis of their D.Ed degree to participate in the counseling proceedings which is said to be commenced from 10th of February, 2025.

It is made clear that this Court has not made any opinion on the merits of the case and this is an interim protection granted to the petitioners for their filing of application in order to mention their D.Ed degree and they will be called for counseling in accordance with their further eligibility.

The respondents are further directed not to pass any final order in the forthcoming counseling process without prior permission of this Court.

अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के परिपालन में सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 24.01.2025 को जारी सूचना को निरस्त किया जाता है।

संचालनालय द्वारा सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में संशोधित सूचना पृथक से जारी की जायेगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विभाग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

उपसंचालक
लोक शिक्षण संचालनालय